Annexure_24.1

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

कमांक एफ–5–49 / 2015 / 10–2 नवा रायपुर, दिनांक 31 / 03 / 2020

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, अरण्य भवन,
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः– Extension of validity of Forest clearance for Deposit-5 Mining Lease of Bailadila Iron Ore Mine, Bacheli Complex over 540.05 hectare Forest Land in Dantewada Forest Division of South Bastar Dantewada District, C.G.

संदर्भः–1.भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक एफ न. 8–38 / 1997-FC, दिनांक 18.06.1999।

2.भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक एफ न. 11–51 / 2015-FC, दिनांक 01.04.2015।

3.भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर का पत्र क्र. Misc-73/RON/2016-NGP/709 दिनांक 28.07.2016 तथा पत्र क्र. FC-Ministry-17/RON/2018-NGP/5064 दिनांक 05.03.2019

4.विभागीय पत्र क्रमांक एफ 5–49 / 2015 / 10–2, दिनांक 22.04.2016।

5.विभागीय पत्र क्रमांक एफ 5–10 / 2016 / 10–2, दिनांक 07.03.2020।

6.छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग का पत्र क्रमांक एफ 4–2 / 2015 / XII, दिनांक 17.12.2019।

7.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र. / भू–प्रबंध / खनिज / 331–251 / 140, दिनांक 23.01.2020 तथा पत्र क्र. / भू–प्रबंध / विविध / 115–704 / 707, दिनांक 20.03.2020

8.विभागीय पत्र क्रमांक एफ 5–49 / 2015 / 10–2, दिनांक 26.03.2020।

9.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र. / भू–प्रबंध / खनिज / 331–252 / 724, दिनांक 31.03.2020।

––––00––––

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र क्रमांक–1 (भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक एफ न. 8–38 / 1997-FC, दिनांक 18.06.1999) के माध्यम से एम.एम.डी.आर. एक्ट–1957 के तहत माईनिंग लीज अवधि तक अथवा अधिकतम 20 वर्ष के लिए 540.050 हे. वन भूमि पर लौह अयस्क खनन के गैर वानिकी कार्य की अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दी गई थी ।

2/– नये MMDR Act 2015 के अधिसूचना दिनांक 27.03.2015 के बिंदु क्र. 8 A (6) में प्रदायित प्रावधानों के तहत् अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के पत्र क्रमांक/ भू–प्रबंध / खनिज / 331–164 / 3014, दिनांक 24.11.2015 में की गई अनुशंसा के आधार पर संदर्भित पत्र क्र. – 4 (विभागीय पत्र क्र. एफ 5–49 / 2015 / 10–2, दि.22.04.2016) के द्वारा खनन लीज की FCA स्वीकृति 31.03.2020 तक विस्तारित की गई थी।

(01/04)

D/FCA/ Letter-N/Lala

Scanned by CamScanner

3/– MMDR Act 2015 के अधिसूचना दिनांक 03.12.2015 के बिंदु क्र. 3 (2) में शासकीय उपक्रमों के लिए 20 वर्ष अतिरिक्त लीज विस्तारीकरण का प्रावधान दिया गया है। जिसके तहत् संदर्भित पत्र क्रमांक–6(छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग का पत्र क्रमांक एफ 4–2/2015/XII, दिनांक 17.12.2019) में छ.ग. शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा विषयांकित प्रकरण में लीज अवधि दिनांक 11.09.2015 से दिनांक 10.09.2035 तक कर दी गई है।

4/– उपरोक्त अद्यतन प्रावधानों के आधार पर तथा भारत सरकार के संदर्भित पत्र क्रमांक 2 (भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक एफ न. 11–51/2015-FC, दिनांक 01.04.2015) में दिये गये दिशा निर्देशों के तहत् अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) द्वारा संदर्भित पत्र क्र.–7 दि. 23.01.2020 के माध्यम से **विषयांकित प्रकरण में 540.050 हे. वन भूमि पर लौह अयस्क खनन की अनुमति की समयावधि दि.10.09.2035 तक किये जाने की अनुशंसा की गई है।**

5/– यहाँ यह उल्लेखनीय है कि एन.एम.डी.सी. द्वारा संचालित दन्तेवाड़ा स्थित विभिन्न खदानों के स्थल निरीक्षण पश्चात् भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर द्वारा उनके पत्र क्र. Misc-73/RON/2016-NGP/709 दिनांक 28.07.2016 तथा पत्र क्र. FC-Ministry-17/RON/2018-NGP/5064 दिनांक 05.03.2019 के माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन एन.एम.डी.सी. द्वारा किये जाने तथा उक्त उल्लंघन के फलस्वरूप विभिन्न बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई थी। उक्त जानकारी के तारतम्य में विषयांकित प्रकरण का परीक्षण कर अद्यतन टीप सहित संशोधित प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु विभागीय पत्र क्र. 5–10/2016/10–2 दिनांक 07.03.2020 तथा विभागीय पत्र क्रमांक एफ 5–49/2015/10–2 दिनांक 26.03.2020 के माध्यम से प्रधान मुख्य वन संरक्षक को पत्र लेख किया गया।

6/– उपरोक्त पत्रों के तारतम्य में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) द्वारा पत्र क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–252/724, दिनांक 31.03.2020के माध्यम से आवेदनकर्ता से सारगर्भित वचन पत्रों को लिया जाकर प्रेषित किया गया।

7/– संदर्भित पत्र क्रमांक 2 (भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक एफ न. 11–51/2015-FC, दिनांक 01.04.2015) में भारत सरकार के निर्देशानुसार MMDR Act 1957 की धारा 8 A (1) में उल्लेखित खनिजों के सबंध में FCA की धारा 2 के अंतर्गत दी गई स्वीकृतियों की वैधता MMDR Act में दी गई माईनिंग लीज की अवधि के Coterminus होने के अनुक्रम में तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331– 252/140, दि. 23.01.2020 पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–704/707, दिनांक 20.03.2020 तथा पत्र क्र./भू–प्रबंध /खनिज/331– 252/724, दिनांक 31.03.2020 में दी गई अनुशंसा एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संदर्भित पत्र क्रमांक – 2 (भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक एफ न. 11–51/2015-FC, दिनांक 01.04.2015) में दिये गये प्रावधानों एवं शर्तो के तहत विषयांकित प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत खनिज लौह अयस्क उत्खनन

Scanned by CamScanner

की खनन संबंधी गैर वानिकी कार्य के अनुमति की समयावधि को माईनिंग लीज के अवधि के समानांतर **दिनांक 10.09.2035 तक समयवृद्धि** निम्न पत्रों में उल्लेखित शर्तों के अधीन मान्य की जाती है :–

01. वनमण्डलाधिकारी, दन्तेवाड़ा वनमण्डल के पत्र क्रमांक/क.त.अ./3038 दि.30.03.2020 में उल्लेखित तालिका में वर्णित समस्त भारत सरकार/राज्य शासन/अ.प्र.मु.वं.सं. भू–प्रबंध द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उपरोक्त उल्लघंन हेतु अधिरोपित शर्त अथवा दण्ड आवेदक संस्थान को मान्य होगा।

02. वनमण्डलाधिकारी, दन्तेवाड़ा वनमण्डल के पत्र क्रमांक/क.त.अ./3038 दि.30.03.2020 में उल्लेखित तालिका में उल्लेखित आवेदक संस्थान के समस्त वचन पत्र के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।

03. विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 8-38/97-FC, दिनांक 18.06.1999 द्वारा प्रदायित वन भूमि व्यपवर्तन अनुमति में उल्लेखित समस्त शर्तो के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।

04. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक एफ न.11–51/2015–एफ.सी. दिनांक 01.04.2015 में उल्लेखित शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।

05. विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी द्वितीय चरण की स्वीकृति उपरांत राज्य शासन वन विभाग स्तर से जारी अनुमति में अधिरोपित शर्तें का आवेदक संस्थान के द्वारा पालन सुनिश्चित किया जावेगा।

06. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग के पत्र एफ 4–2/2015/XII, दिनांक 17.12.2019 में उल्लेखित शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।

07. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के पत्र क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–252/140, दिनांक 23.01.2020 में अधिरोपित शर्त – वन संरक्षण अधिनियम की स्वीकृति के शर्तों के पालन की मॉनीटरिंग के लिये आवेदक संस्थान वन विभाग को एक नवीन वाहन उपलब्ध करायेगा।

8/– उपरोक्त शर्तों के अलावा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर, राज्य शासन एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी वन सरंक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ़ द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले दिशा निर्देश भी आवेदक संस्थान हेतु बंधनकारी होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

K.Rajput 31.3.2020

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग

(03 of 04)

D/FCA/ Latter-N/Lalit

Scanned by CamScanner

पृष्ठां. क्रमांक एफ–5–49/2015/10–2 नवा रायपुर, दिनांक 31/03/2020

प्रतिलिपि:–

1.वन महानिरीक्षक (एफ.सी.), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, कक्ष क्रमांक 556, पांचवी मंजिल, अग्नि विंग, जोर बाग रोड, नई दिल्ली–110003।

2.मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।

3.कलेक्टर दंतेवाड़ा, जिला दंतेवाड़ा।

4.वनमंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा वनमंडल, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़।

5.अधिशासी निदेशक, एन.एम.डी.सी.लि.,बैलाडीला लौह अयस्क खान, बचेली कॉम्प्लेक्स, जिला दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

Rajput
31.3.2020

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग

(04 of 04)

Scanned by CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 5–49/2015/10–2 रायपुर, दिनांक...../04/2016

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, रायपुर।

विषय :– दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वनमंण्डल के अंतर्गत एन.एम.डी.सी. के बैलाडीला निपेक्ष क्र. –05 रकबा 540.050 हे. वनभूमि में लौह अयस्क खनिज के लिए खनिज पट्टा की समयावधि का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत दिनांक 31.03.2020 तक विस्तार बाबत् ।

संदर्भ :– आपका पत्र क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–164/3014 दिनांक 24.11.2015 ।

———00———

विषयांकित प्रकरण में नये एम.एम.आर.डी.अधिनियम 2015 के तहत् लीज अवधि का दिनांक 31.03.2020 तक समयवृद्धि बढ़ाने का अनुरोध संदर्भित पत्र में किया गया है ।

3/– नये एम.एम.आर.डी. अधिनियम 2015 के तहत माइनिंग लीज की अवधि में वृद्धि हेतु छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग द्वारा पत्र क्र. एफ 7–9/2015/12 दि. 19.05.2015 मे तहत राज्य स्तर पर व्यापक दिशा–निर्देश जारी किये गये है । उपरोक्त दिशा–निर्देशों की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है ।

2/– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी औपचारिक अनुमति पत्र क्र 8–38/97–एफ.सी. दिनांक 18.06.1999 अधिरोपित शर्तो तथा छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश क्र. एफ–7–9/2015/12 दि. 19.05.2015 में दिये गये शर्तो के पालन की शर्त पर विषयांकित प्रकरण में खनन लीज की अवधि को दिनांक 31.03.2020 तक की समयवृद्धि दी जाती है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(एम.एन.राजूरकर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन, वन विभाग

पृष्ठ. क्रमांक एफ 5–49/2015/10–2 रायपुर, दिनांक 22/04/2016

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, खनिज साधन विभाग छ.ग. शासन की ओर सूचनार्थ कृपया आपके दिशा–निर्देश पत्र क्र. एफ 5–9/97/10–3 दि.19.05.2015 के तहत सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक (भू–प्रबंध) छ.ग.।
3. मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर, वृत्त जगलदपुर, छत्तीसगढ।
4. वन मंडलाधिकारी दंतेवाडा, वन मंडल दंतेवाडा, छत्तीसगढ़।
5. महाप्रबंधक, एन.एम.डी.सी. बचेली कॉम्पलेक्स, बैलाडीला, छत्तीसगढ़ ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड़, रायपुर
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू.प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2552233 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/खनिज/ 331–163/ 1106 रायपुर, दिनांक 12/05/2016

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर
छत्तीसगढ़

विषयः– **दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वनमण्डल के अंतर्गत बैलाडीला निक्षेप क्रमांक–05 रकबा 540.050 हे. वन भूमि में लौह अयस्क खनिज के लिए खनिज पट्टा की समयावधि का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 31.03.2020 तक विस्तार बाबत्।**
– **पंजीयन क्रमांक 2013/018**

संदर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No.8-38/97-FC दिनांक 18.06.1999
2. छ.ग. शासन, वन विभाग का पत्र क्रं./एफ 5–49/2015/10–2 दिनांक 22.04.2016
3. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ भू–प्रबंध/खनिज/ 331–163/ 3014 दिनांक 24.11.2015

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत प्रकरण में नये एम.एम.आर.डी अधिनियम, 2015 के तहत लीज अवधि दिनांक 31.03.2020 तक समयवृद्धि बढ़ाने का अनुरोध किया है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No.8-38/97-FC दिनांक 18.06.1999 में अधिरोपित शर्तो तथा छ.ग. शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश क्रमांक एफ 7–9/2015/12 दिनांक 19.05.2015 में दिये गये शर्तो की पालना सुनिश्चित करने, सेफ्टी जोन का कार्य आवेदक के व्यय पर पूर्ण करने तथा कलेक्टर दंतेवाड़ा से अनुबंध उपरांत कार्य अनुमति का उत्तरदायित्व वन मंडलाधिकारी दंतेवाड़ा वन मंडल का होगा।

तदानुसार प्रकरण में छ.ग. शासन, वन विभाग द्वारा जारी स्वीकृति उपरांत खनन लीज की अवधि में दिनांक 31.03.2020 तक समयवृद्धि दी जाती है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(हस्ताक्षर) 12/5
(मुदित कुमार सिंह)
अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध/ व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

4579
06/6/16

पृ. क्र0/भू–प्रबंध/खनिज/331–163/1107 रायपुर, दिनांक 12/05/2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **प्रमुख सचिव**, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक** (मा.स.वि/ सूचना प्रौद्योगिकी), छत्तीसगढ़ को संलग्न राज्य शासन अनुमति विभागीय वेब साईट (भू–प्रबंध प्रभाग) पर अपलोड करने हेतु।
3. **कलेक्टर** – जिला दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़।
4. **वन मंडलाधिकारी**, दंतेवाड़ा वन मंडल, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़।
5. **महा प्रबंधक**, मेसर्स एन.एम.डी.सी, बचेली काम्पलेक्स, बैलाडीला, छत्तीसगढ़।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(हस्ताक्षर) 12/5
अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध/ व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

- 96 -Letter-Mining

F.No. 8-38/97 - FC
Government of India
Ministry of Environment & Forests
F.C. Division

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi – 110 003.

Dated 18th June, 1999

To
The Secretary (Forests),
Government of Madhya Pradesh,
BHOPAL.

Sub: Renewal of mining lease over 540.050 ha. of forest land for Bailadila Iron Ore Project in Bastar district of Madhya Pradesh in favour of M/sNMDC Ltd.

Sir,

I am directed to refer to your letter No. F-5/6/97/10/3 dt. 31.5.99 on the above mentioned subject seeking prior approval of the Central Government in accordance with Section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 and to say that the proposal has been examined by the Advisory Committee constituted by the Central Government under Section 3 of the aforesaid Act.

2. After careful consideration of the proposal of the State Government and on the basis of the recommendation of the above mentioned Advisory Committee, the Central Government hereby conveys its approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act.,1980 for renewal of mining lease over 540.050 ha. of forest land (167.480 ha. already broken up forest land + 47.700 ha. forest land for waste dumps and infrastructural facilities + 32.680 ha. already afforestated area but to be retained on account of fragmentation + 292.190 ha. blank area to be afforested) for Bailadila Iron Ore Project in Bastar district in favour of M/s.NMDC Ltd. subject to following conditions:-

(i) Legal status of forest land shall remain unchanged.

(ii) Compensatory afforestation will be carried out over 649.74 ha. of degraded forest land at project cost.

(iii) Penal Compensatory afforestation will be carried out over 1080.100 ha. of degraded forest land at project cost.

(iv) Entire land covered by mining lease should be kept free from encroachments and existing encroachments should be removed immediately.

Cond... p/2...

(v) Mining activity will be restricted to broken up forest land only. The area under afforestation and the area to be afforested will not be used for any other purpose such as mining or infrastructure facilities, etc in future.

(vi) No felling of trees shall be done.

(vii) Afforestation will be carried out over 292.19 ha. of blank area at the project cost. A detailed afforestation scheme of native tree species in this regard including phasing will be prepared in consultation with the State Forest Department and submitted to this Ministry within six months positively. A committee consisting of CF(Central), Regional Office, Bhopal, CF in the nodal office of the State Govt. and CF(Terri.) shall monitor the progress of this condition.

The entire 324.870 ha. area (32.680 ha. already afforested and 292.190 ha. to be afforested) will be fenced at the cost of user agency and maintained as green area.

(viii) Fencing, protection and regeneration of the safety zone area will be done at the project cost. Besides this, afforestation over one and a half times of safety zone area in degraded forest elsewhere will be done at the project cost.

(ix) Demarcation of mining lease area will be done on the ground at project cost using four feet high reinforced cement concrete pillars with serial numbers, forward-back, bearing and distance from pillar to pillar.

(x) The user agency will make arrangement for free supply of fuelwood preferably alternate energy source to labourers and staff working on the project site so as to avoid any pressure on the adjacent forest areas.

(xi) Reclamation of lease areas will be done concurrently in consultation with the State Forest Department at the cost of user agency.

(xii) The period of permission under the Forest (Conservation) Act, 1980 will be for 20 years co-terminus with lease under MMRD Act, 1957 and w.e.f. date of expiry of previous lease.

(xiii) The enclosed environmental safeguards will be strictly adhered to by the lessee.

(xiv) The approval under the Forest (Conservation) Act, 1980 is subject to the clearance under the Environmental Protection Act, 1986.

Contd. p. 3/...

603

(xv) Any other condition that the State Govt. or Chief Conservator of Forests (Central) , Regional Office , Bhopal may impose from time to in the interest of afforestation and protection of forests.

Yours faithfully,

18/6/99

(J.P. MISRA)
Assistant Inspector General of Forests

Copy to:-

1. The Principal Chief Conservator of Forests, Government of Madhya Pradesh, Bhopal.
2. Nodal Officer, Office of the Principal Chief Conservator of Forests, Government of Madhya Pradesh, Bhopal.
3. The Chief Conservator of Forest , Regional Office, Bhopal.
4. RO(HQ), New Delhi
5. The General Manager, M/s.NMDC, Bailadila Iron Ore Project, Dep. No.14, Kirandul-494556, Distt. Bastar, M.P.
6. Guard file.

18/6/99

(J.P. MISRA)
Assistant Inspector General of Forests

Received copy

18/6/99

for N.M.D.C. Ltd.

Annexure_24.2

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ–5–01/2016/10–2 नवा रायपुर, दिनांक 31/03/2020

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, अरण्य भवन,
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः– Extension of validity of Forest clearance for Deposit-10 Mining Lease of Bailadila Iron Ore Mine, Bacheli Complex over 309.34 hectare Forest Land in Dantewada Forest Division of South Bastar Dantewada District, C.G.

संदर्भः–1.भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक एफ न. 8–39/1997-FC, दिनांक 29.07.1998।

2.भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक एफ न. 11–51/2015-FC, दिनांक 01.04.2015।

3.भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर का पत्र क्र. Misc-73/RON/2016-NGP/709 दिनांक 28.07.2016 तथा पत्र क्र. FC-Ministry-17/RON/2018-NGP/5064 दिनांक 05.03.2019

4.विभागीय पत्र क्रमांक एफ 5–01/2016/10–2, दिनांक 23.04.2016।

5.विभागीय पत्र क्रमांक एफ 5–10/2016/10–2, दिनांक 07.03.2020।

6.छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग का पत्र क्रमांक एफ 3–83/95/12, दिनांक 17.12.2019।

7.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–251/148, दिनांक 23.01.2020 तथा पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–704/708, दिनांक 20.03.2020

8.विभागीय पत्र क्रमांक एफ 5–01/2016/10–2, दिनांक 26.03.2020।

9.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–251/726, दिनांक 31.03.2020।

———00———

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र क्रमांक–1 (भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक एफ न. 8–39/1997-FC, दिनांक 29.07.1998) के माध्यम से एम.एम.डी.आर. एक्ट–1957 के तहत माईनिंग लीज अवधि तक अथवा अधिकतम 20 वर्ष के लिए 309.34 हे. वन भूमि पर लौह अयस्क खनन के गैर वानिकी कार्य की अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दी गई थी ।

2/– नये MMDR Act 2015 के अधिसूचना दिनांक 27.03.2015 के बिंदु क्र. 8 A (6) में प्रदायित प्रावधानों के तहत् भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक एफ न. 11–51/2015-FC, दिनांक 01.04.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसरण में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के पत्र क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–164/3002, दि. 24.11.2015 में की गई अनुशंसा के आधार पर

Scanned by CamScanner

संदर्भित पत्र क्र.– 4 (विभागीय पत्र क्रमांक एफ 5–01/2016/10–2, दि. 23.04.2016) के द्वारा खनन लीज की FCA स्वीकृति दि.31.03.2020 तक विस्तारित की गई थी।

3/– MMDR Act 2015 के अधिसूचना दिनांक 03.12.2015 के बिंदु क्र. 3 (2) में शासकीय उपक्रमों के लिए 20 वर्ष अतिरिक्त लीज विस्तारीकरण का प्रावधान दिया गया है। जिसके तहत् संदर्भित पत्र क्रमांक–6 (छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग का पत्र क्रमांक एफ 3–83/95/12, दिनांक 17.12.2019) में छ.ग. शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा विषयांकित प्रकरण में लीज अवधि दि. 11.09.2015 से दि. 10.09.2035 तक कर दी गई है।

4/– उपरोक्त अद्यतन प्रावधानों के आधार पर तथा भारत सरकार के संदर्भित पत्र क्रमांक 2 (भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक एफ न. 11–51/2015-FC, दिनांक 01.04.2015) में दिये गये दिशा निर्देशों के तहत् अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) द्वारा संदर्भित पत्र क्र.–7 दि.23.01.2020 के माध्यम से **विषयांकित प्रकरण में 309.34 हे. वन भूमि पर लौह अयस्क खनन की अनुमति की समयावधि दिनांक 10.09.2035 तक किये जाने की सशर्त अनुशंसा की गई है।**

5/– यहाँ यह उल्लेखनीय है कि एन.एम.डी.सी. द्वारा संचालित दन्तेवाड़ा स्थित विभिन्न खदानों के स्थल निरीक्षण पश्चात् भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर द्वारा उनके पत्र क्र. Misc-73/RON/2016-NGP/709 दिनांक 28.07.2016 तथा पत्र क्र. FC-Ministry-17/RON/2018-NGP/5064 दिनांक 05.03.2019 के माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन एन.एम.डी.सी. द्वारा किये जाने तथा उक्त उल्लंघन के फलस्वरूप विभिन्न बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई थी। उक्त जानकारी के तारतम्य में विषयांकित प्रकरण का परीक्षण कर अद्यतन टीप सहित संशोधित प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु विभागीय पत्र क्र. 5–10/2016/10–2 दिनांक 07.03.2020 तथा विभागीय पत्र क्रमांक एफ 5–01/2016/10–2 दिनांक 26.03.2020 के माध्यम से प्रधान मुख्य वन संरक्षक को पत्र लेख किया गया।

6/– उपरोक्त पत्रों के तारतम्य में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) द्वारा पत्र क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–251/726, दिनांक 31.03.2020 के माध्यम से आवेदनकर्ता से सारगर्भित वचन पत्रों को लिया जाकर प्रेषित किया गया।

7/– संदर्भित पत्र क्रमांक 2 (भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक एफ न. 11–51/2015-FC, दिनांक 01.04.2015) में भारत सरकार के निर्देशानुसार MMDR Act 1957 की धारा 8 A (1) में उल्लेखित खनिजों के सबंध में FCA की धारा 2 के अंतर्गत दी गई स्वीकृतियों की वैधता MMDR Act में दी गई माईनिंग लीज की अवधि के Coterminus होने के अनुक्रम में तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331– 251/148, दि. 23.01.2020 पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–704/708, दिनांक 20.03.2020 तथा पत्र क्र./भू–प्रबंध /खनिज/331– 251/726, दिनांक 31.03.2020 में दी गई अनुशंसा एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संदर्भित पत्र क्रमांक – 2 (भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक एफ न. 11–51/2015-FC, दिनांक 01.04.2015) में दिये गये प्रावधानों एवं शर्तो के तहत विषयांकित प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत खनिज लौह अयस्क उत्खनन

Scanned by CamScanner

की खनन संबंधी गैर वानिकी कार्य के अनुमति की समयावधि को माईनिंग लीज के अवधि के समानांतर **दिनांक 10.09.2035 तक समयवृद्धि** निम्न पत्रों में उल्लेखित शर्तों के अधीन मान्य की जाती है :–

01. वनमण्डलाधिकारी, दन्तेवाड़ा वनमण्डल के पत्र क्रमांक/क.त.अ./3040 दि.30.03.2020 में उल्लेखित तालिका में वर्णित समस्त भारत सरकार/राज्य शासन/अ.प्र.मु.वं.सं. भू–प्रबंध द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उपरोक्त उल्लघंन हेतु अधिरोपित शर्त अथवा दण्ड आवेदक संस्थान को मान्य होगा।
02. वनमण्डलाधिकारी, दन्तेवाड़ा वनमण्डल के पत्र क्रमांक/क.त.अ./3040 दि.30.03.2020 में उल्लेखित तालिका में उल्लेखित आवेदक संस्थान के समस्त वचन पत्र के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।
03. विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 8-39/97-FC, दिनांक 29.07.1998 द्वारा प्रदायित वन भूमि व्यपवर्तन अनुमति में उल्लेखित समस्त शर्तो के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।
04. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक एफ न.11–51/2015–एफ.सी. दिनांक 01.04.2015 में उल्लेखित शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।
05. विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी द्वितीय चरण की स्वीकृति उपरांत राज्य शासन वन विभाग स्तर से जारी अनुमति में अधिरोपित शर्तें का आवेदक संस्थान के द्वारा पालन सुनिश्चित किया जावेगा।
06. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग के पत्र एफ 3–85/95/12, दि.17.12.2019 में उल्लेखित शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।
07. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के पत्र क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–252/148, दिनांक 23.01.2020 में अधिरोपित शर्त – वन संरक्षण अधिनियम की स्वीकृति के शर्तों के पालन की मॉनीटरिंग के लिये आवेदक संस्थान वन विभाग को एक नवीन वाहन उपलब्ध करायेगा।

8/– उपरोक्त शर्तों के अलावा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर, राज्य शासन एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी वन सरंक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ़ द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले दिशा निर्देश भी आवेदक संस्थान हेतु बंधनकारी होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

31.3.2020
(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग

(03 of 04)

Scanned by CamScanner

पृष्ठां. कमांक एफ–5–01/2016/10–2 नवा रायपुर, दिनांक 31 /03/2020

प्रतिलिपिः–

1.वन महानिरीक्षक (एफ.सी.), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, कक्ष क्रमांक 556, पांचवी मंजिल, अग्नि विंग, जोर बाग रोड, नई दिल्ली–110003।

2.मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।

3.कलेक्टर दंतेवाड़ा, जिला दंतेवाड़ा।

4.वनमंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा वनमंडल, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़।

5.अधिशासी निदेशक, एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, बैलाडीला लौह अयस्क खान, बचेली कॉम्प्लेक्स, जिला दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

31.3.2020

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग

(04 of 04)

Scanned by CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 5–1/2016/10–2 रायपुर, दिनांक...../04/2016

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, रायपुर।

विषय :– दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वनमंण्डल के अंतर्गत एन.एम.डी.सी. के बैलाडीला निपेक्ष क्र. –10 रकबा 309.340 हे. वनभूमि में लौह अयस्क खनिज के लिए खनिजपट्टा की समयावधि का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत दिनांक 31.03.2020 तक विस्तर बाबत् ।

संदर्भ :– आपका पत्र क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–164/3002 दिनांक 24.11.2015 ।

–––00–––

विषयांकित प्रकरण में नये एम.एम.आर.डी.अधिनियम 2015 के तहत् लीज अवधि का दिनांक 31.03.2020 तक समयवृद्धि बढ़ाने का अनुरोध संदर्भित पत्र में किया गया है ।

2/– नये एम.एम.आर.डी. अधिनियम 2015 के तहत माइनिंग लीज की अवधि में वृद्धि हेतु छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग द्वारा पत्र क्र. एफ 7–9/2015/12 दि. 19.05.2015 मे तहत राज्य स्तर पर व्यापक दिशा–निर्देश जारी किये गये है । उपरोक्त दिशा–निर्देशों की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है ।

3/– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी औपचारिक अनुमति पत्र क्र 8–38/97–एफ.सी. दिनांक 29.07.1998 में अधिरोपित शर्तो तथा छ.ग. शासन खनिज साधन विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश क्र. एफ–7–9/2015/12 दि. 19.05.2015 में दिये गये शर्तो के पालन की शर्त पर राज्य शासन एतद द्वारा विषयांकित प्रकरण में खनन लीज की अवधि को दिनांक 31.03.2020 तक की समयवृद्धि देता है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(एम.एन.राजूरकर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन, वन विभाग

D.F.O.
Dantewada Dn.

क्रमांक एफ 5–1/2016/10–2 रायपुर, दिनांक 23/04/2016

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, खनिज साधन विभाग छ.ग. शासन की ओर सूचनार्थ कृपया आपके दिशा–निर्देश पत्र क्र. एफ 5–9/97/10–3 दि.19.05.2015 के तहत सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक (भू–प्रबंध) छ.ग.।
3. मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर, वृत्त जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
4. वन मंडलाधिकारी दंतेवाडा, वन मंडल दंतेवाडा, छत्तीसगढ़ ।
5. महाप्रबंधक एन.एम.डी.सी. बचेली कॉम्पलेक्स, बैलाडीला, छत्तीसगढ़ ।

3556
04/5/16
D/FCA/ Later-N/Verma

अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन, वन विभाग

1868

No.8-39/97-FC
Government of India
Ministry of Environment and Forests

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodi Road

New Delhi - 110 003,
Dated: 29.7.98

To

Attn - Sh Dharmendra Shukla

The Secretary (Forests)
Government of Madhya Pradesh
Bhopal.

Sub: Renewal of Mining lease over 309.34 ha. of forest land in favour of M/s NMDC Ltd. - Bailadila Iron Ore Project in distt. Bastar.

Sir,

I am directed to refer to your letter No.F.5/11/97/10/3 dated 14.7.98 on the above mentioned subject seeking prior approval of the Central Government in accordance with Section-2 of the Forest (Conservation) Act,1980 and to say that the proposal has been examined by the Advisory Committee constituted by the Central Government under Section-3 of the aforesaid Act.

After careful consideration of the proposal of the State Government and on the basis of the recommendation of the above mentioned Advisory Committee, the Central Government hereby conveys its approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act,1980 for renewal of mining lease over 309.34 ha. of forest land in favour of M/s NMDC Ltd. - Bailadila Iron Ore Project in distt. Bastar subject to the following conditions:

Legal status of forest land shall remain unchanged.

ii) Compensatory afforestation will be carried out at project cost over degraded forest land twice in extent of 268.870 ha. i.e. 537.740 ha.

iii) The schedule of 309.340 ha. of forest land being approved will be as per the condition No.(i) of letter of even no. dated 22.4.98 vide which approval in principle has been accorded to the proposal.

iv) Penal compensatory afforestation will be carried out over degraded forest land twice in extent of 309.340 ha. i.e. 618.680 ha.

v) In addition to the above, afforestation will be carried out over 91.810 ha. of blank area within the mining lease at the project cost and afforestation scheme of native tree species in this regard will be prepared in consultation with the State Forest Department and will be submitted to the Chief Conservator of Forests (C), Regional Office, Bhopal for monitoring.

....2/-

) Fencing, protection and ... will be done at the project cost. Afforestation over one and half times of safety zone area over degraded forest land elsewhere will also be carried out at the project cost.

vii) Entire land covered by mining lease should be kept free from encroachments. Existing encroachments will be removed immediately.

viii) The fresh forest land proposed for infrastructurctural facilities will be used only for operational buildings/structures and not for residential colony etc. The nature of such buildings would be such it can be demolished after completion of the project and the area restored back to its original State.

ix) Reclamation of the mining lease area will be done concurrently in consultation with the Forest Department at the project cost.

The user agency will open a fuelwood depot for free supply of fuelwood to labourers and staff working at the project site so as to avoid any pressure on the adjacent fores areas.

xi) Demarcation of the mining lease area will be done on the ground using 4 feet high concrete pillars with bering number and bearing etc.

xii) The period of permission under the Forest (Conservation) Act,1980 will be for 20 years coterminus with lease under MMRD Act,1957 w.e.f. date of expiry of previous lease.

xiii) The environmental conditions as stipulated in the environmental clearance will be strictly adhered to.

v) Any other condition which the State Government may stipulate from time to time in the interest of afforestation and protection of forests.

Yours faithfull ,

(R.K. CHAUDHRY)
ASSTT. INSPECTOR GENERAL OF FORESTS

Copy to:
1. The Principal Chief Conservator of Forests, Govt of MP, Bhopal
2. Nodal Officer, Office of the PCCF,Govt of MP,Bhopal
3. The CCF(C), Regional Office, Bhopal
4. ROHQ, New Delhi
5. Guard File

19.7.94
(R.K. CHAUDHRY)
AIG(F)

Annexure_24.3

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ, अरण्य भवन, मेड़िकल कॉलेज रोड़, रायपुर
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू.प्रबंध)
दूरभाषः 0771 – 2552233 ई – मेलः ccflm_cg@yahoo.com

क्र0/भू–प्रबंध/खनिज/ 331–164/3614 रायपुर, दिनांक 24/11/2015

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर

विषयः– **दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वनमण्डल के अंतर्गत बैलाडीला निक्षेप क्रमांक–05 रकबा 540.050 हे. वन भूमि में लौह अयस्क खनिज के लिए खनिज पट्टा की समयावधि का वन संरक्षण अधिनिमय, 1980 के अंतर्गत 31.03.2020 तक विस्तार बाबत्।**
– पंजीयन क्रमांक 2013/018

संदर्भः–
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No.8-38/97-FC दिनांक 18.06.1999
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रं./F.No.11-51/2015- FC दिनांक 01.04.2015 एवं दिनांक 01.05.2015
3. मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ व.त.अ/ 1619 दिनांक 07.09.2015

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के संदर्भित पत्र –2 द्वारा दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वन मंडल लौह अयस्क खनिज के लिए खनिपट्टा की समयावधि वृद्धि बाबत दिशा निर्देश जारी किये है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक एफ 11–51/2015–एफ.सी दिनांक 01.04.2015 द्वारा जारी निर्देशानुसार माईनिंग लीज की वैद्यता तिथि दिनांक 10.09.2015 को समाप्त हो गई है। भारत सरकार द्वारा पूर्व में एम.एम.आर.डी अधिनियम, 1957 के स्थान पर नया संशोधित अध्यादेश 2015 जारी किया है। इसके अनुसार माईनिंग लीज निक्षेप क्रमांक 05 खनन पट्टा रकबा 540.050 हे. की स्वीकृति स्वतः दिनांक 31.03.2020 तक हो गयी है।

तदानुसार संदर्भित पत्र 1 के परिपालन में अंतिम चरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है जो निम्नानुसार हैः–

कमांक	शर्त	पालन प्रतिवेदन
1	वन भूमि का वैधानकि स्वरूप परिवर्तित नही होगा।	आवेदक संस्थान को मान्य है।
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण 649.74 हे. बिगड़े वन क्षेत्र पर परियोजना व्यय से किया जावेगा।	रकबा 649.74 हेक्टेयर बिगड़े वन क्षेत्र पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए परियोजना द्वारा वन मंडल दंतेवाड़ा के मांग पत्र कं. 368 दिनांक 03.04.1999 के अनुसार रू. **2,14,49,500/–** का भुगतान चालान क. 1/4 ड्राफ्ट कं. 887653 दिनांक 17.05.99 द्वारा जमा किया गया है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु बैलाडिला निक्षेप क्रमांक 5, निक्षेप क्रमांक 10, निक्षेप क्रमांक 10 प्लोटो, निक्षेप क्रमांक 14 मिन्रलाईज, निक्षेप क्रमांक 14 नान मिन्रालाईजड एवं निक्षेप क्रमांक 11 में प्रत्यावर्तित क्षेत्र के बदले शासन से प्राप्त निर्देशानुसार जगदलपुर वृत्त के बस्तर / बीजापुर / सुकमा /दंतेवाड़ा वनमण्डल तथा कांकेर वृत्त के कांकेर / पूर्व भानुप्रतापपुर /पश्चिम भानुप्रतापुर / नारायणपुर / उत्तर कोण्डागांव एवं दक्षिण कोंण्डागांव वनमण्डल के वन क्षेत्रों को चयनित कर संयुक्त योजना तैयार किया गया था। उक्त योजना के अनुसार क्षतिपूर्ति

वृक्षारोपण योजना का निम्नानुसार कार्य किया गया है।

अनु. क्रं.	कार्य का विवरण	वृत्त का नाम	क्षेत्रफल (हे. में)
1	आर.डी.एफ. कार्य (वृक्षारोपण कार्य)	जगदलपुर	9522.000
		कांकेर	0.000
		योग :–	**9522.000**
2	उच्च तकनीकी सिंचित वृक्षारोपण	जगदलपुर	640.000
		कांकेर	345.000
		योग :–	**985.000**
3	असीचित वृक्षारोपण	जगदलपुर	2964.000
		कांकेर	487.000
		योग :–	**3451.000**
		महायोग :–	**13958.000**

वनमण्डलवार स्थलवार विवरण रोपित पौधे की संख्या जीवित पौधे का प्रतिशत का पूर्ण प्रतिवेदन संलग्न है

3 दण्डस्वरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण 1080. 100 हे. बिगड़े वनक्षेत्र में परियोजना व्यय से किया जाये।

आवेदक संस्थान द्वारा दण्डस्वरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू. 3440631/– का भुगतान चालान क्रमांक 1/4 दिनांक 15.05.1999 को किया गया है। PCA के लागू नही किये जाने के संबंध में निगम द्वारा पत्र कमांक ENV/BLD/FOR-CL/5-8/99 दिनांक 05.02.1999 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है एवं दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण के विरूद्ध डिमांड नोट के अनुसार वांछित राशि का भुगतान किया गया है।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु बैलाडिला निक्षेप क्रमांक 5, निक्षेप क्रमांक 10, निक्षेप क्रमांक 10 प्लोटो, निक्षेप क्रमांक 14 मिन्रलाईज, निक्षेप क्रमांक 14 नान मिन्रालाईजड एवं निक्षेप क्रमांक 11 में प्रत्यावर्तित क्षेत्र के बदले शासन से प्राप्त निर्देशानुसार जगदलपुर वृत्त के बस्तर/ बीजापुर/ सुकमा/ दंतेवाड़ा वनमण्डल तथा कांकेर वृत्त के कांकेर/ पूर्व भानुप्रतापुर/ पश्चिम भानुप्रतापपुर/ नारायणपुर/ उत्तर कोण्डागांव एवं दक्षिण कोंण्डागांव वनमण्डल के वनक्षेत्रों को चयनित कर संयुक्त योजना तैयार किया गया था। उक्त योजना के अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना का निम्नानुसार कार्य किया गया है।

अनु. क्रं.	कार्य का विवरण	वृत्त का नाम	क्षेत्रफल (हे.में)
1	आर.डी.एफ. कार्य (वृक्षारोपण कार्य)	जगदलपुर	9522.000
		कांकेर	0.000
		योग :–	**9522.000**
2	उच्च तकनीकी सिंचित वृक्षारोपण	जगदलपुर	640.000
		कांकेर	345.000
		योग :–	**985.000**
3	असीचित वृक्षारोपण	जगदलपुर	2964.000
		कांकेर	487.000
		योग :–	**3451.000**
		महायोग :–	**13958.000**

वनमण्डलवार स्थलवार विवरण रोपित पौधे की संख्या जीवित पौधे का प्रतिशत का पूर्ण प्रतिवेदन संलग्न है ।

4	पूरे लीज़ क्षेत्र को अतिक्रमण रहित रखा जावेगा, तथा यदि वर्तमान में कोई अतिक्रमण हो तो उसे तत्काल हटाया जावे।	निक्षेप कं. 5 के लीज़ क्षेत्र में अतिक्रमण नही है।
5	उत्खनन गतिविधि केवल पूर्व से तोड़े गये वनक्षेत्र तक ही सीमित रहेगी। वनों से आच्छादित क्षेत्र एवं वनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का उपयोग किसी अन्य गतिविधि जैसे–खनिज उत्खनन, उत्खनन के आधारभूत ढ़ांचे के निर्माण आदि हेतु भविष्य में उपयोग नही किया जायेगा।	उत्खनन गतिविधि केवल पूर्व में तोड़े गये क्षेत्र पर ही की जा रही है। उक्त शर्त पालन के संबंध में वनमण्डल स्तर पर गठित संयुक्त दल द्वारा निरीक्षण किया गया है **निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है ।**
6	कोई वृक्ष नही काटा जावेगा।	उत्खनन हेतु वृक्ष काटने की आवश्यकता नही है। कोई वृक्ष नही काटा गया है ।
7	292.19 हे. वनविहिन क्षेत्र में परियोजना व्यय से वनीकरण किया जाये। निकटतम क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न स्थानीय प्रजातियों की वृक्षों की विस्तृत चरणवार वृक्षारोपण योजना वन विभाग के अधिकारियों की सलाह से तैयार कर यथा संभव आगामी 6 माह में भारत रकार को प्रस्तुत की जावे। इस वृक्षारोपण योजना एवं अन्य शर्तो की प्रगति की समीक्षा वनसंरक्षक (क्षेत्रीय) कर क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल, वनसंरक्षक, नोडल कार्यालय राज्य शासन एवं वन संरक्षक (क्षेत्रीय) कर कमेटी गठित की जाये। पूर्ण 324.870(32.680 हे. पूर्व से वनीकृत एवं 292.190 हे. वनीकरण हेतु प्रस्तावित) क्षेत्र को उपयोगकर्ता के व्यय से फफैंसिंग की जावे एवं उसे हरित क्षत्र के रूप में रख–रखाव भी किया जावे।	आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार वन विहिन क्षेत्र 292.19 में सामाजिक वानिकी वन विभाग जगदलपुर एवं राज्य वन विकास प्राधिकरण के सहयोग से चरण बद्ध तरीके से वृक्षारोपण कार्य किया गया है । पूर्ण 324.870 हे. क्षत्र पर किए गए वृक्षारोपण का रखरखाव परियोजना द्वारा नियमित रूप से किया जाता है एवं क्षेत्र की फैंसिंग की जा चुकी है। **रोपण का वर्षवार प्रजातिवार विवरण संलग्न है।**
8	सेफ्टी जोन क्षेत्र में फैंसिंग सुरक्षा एवं रीजनरेशन का कार्य परियोजना व्यय पर किया जावेगा। सेफ्टी जोन क्षेत्र के डेढ़ गुणा अन्य बिगड़े वन पर कहीं भी वृक्षारोपण का ार्य परियेाजना व्यय पर किया जोवगा।	सेफ्टी जोन सुरक्षा हेतु जारी डिमांड नोट के अनुसार परियोजना द्वारा फेंसिग कार्य हेतु **रू. 9428304/–** सुरक्षा हेतु **रू. 4320000/–** रिक्लमेंशन हेतु **रू. 2402094/–** तथा सेफ्टी जोन क्षेत्र के डेढ़ गुना बिगड़े वन क्षेत्र पर वृक्षारापेण हेतु **रू. 25207947/–** का भुगतान चालान कं. 1/4 दिनांक 17.05.1999 को डाफ्ट कं. 887653 द्वारा किया गया है। उक्त शर्त पालन के संबंध में वनमण्डल स्तर पर गठित संयुक्त दल द्वारा निरीक्षण किया गया है **निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।**
9	माईनिंग लीज का सीमांकन 4 फीट की ऊंचाई वाले सीमेंट के खंबे लगाकर परियोजना व्यय से किया जावेगा। खंबों तक की समान दूरी पर कमांक एवं बियरिंग किया जावे।	लीज क्षेत्र की बाउन्ड्री पर पिरामिड आकार के 4 फीट ऊंचे सीमेंट के खंबे बना कर संख्या तथा बियरिंग अंकित किया गया है। **फोटोग्राफ्स संलग्न है।**

10	समीपवर्ती वनों पर दबाब न आए इस हेतु परियोजना मे कार्यरत् स्टाफ/श्रमिकों को निःशुल्क जलाऊ लकड़ी या अन्य ऊर्जा स्त्रोत संस्थान द्वारा परियोजना स्थल पर ही उपलब्ध कराई जायेगी।	(क) आवेदक संस्थान के अनुसार टाउनशिप में रह रहे परियोजना के कर्मचारियों को कुकिंग गैस की सुनियोजित सप्लाई की जाती है। (ख) परियोजना के टाउनशिप क्षेत्र में रह रहे कर्मचारियों को परियोजना द्वारा सबसीडाइज्ड दर से बिजली की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। (ग) परियोजना स्थल पर कार्यरत स्टाफ/श्रमिकों के लिए कैंटिन की व्यवस्था है जिसमें कुकिंग गैस/बिजली के हीटर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। चूंकि पर्याप्त ऊर्जा श्रोत आधारभूत आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को यथा स्थान पर संसीान द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे है।
11	उत्खनित क्षेत्र का समतलीकरण समवर्ती रूप से वन विभाग के परामर्श से परियेाजना व्यय से किया जाये।	आवेदक संस्थान के प्रतिवेदन अनुसार उत्खनित क्षेत्र का समतलीकरण खनन कार्य की समाप्ति के पश्चात् ही संभव है, क्योंकि उत्खनन का कार्य पूर्व में तोड़े गए स्थान पर ही और अधिक गहराई में चालू रहता है, समतलीकरण हेतु निधारित अग्रिम राशि **रू. 29,30,000.00** जमा की गई है जिसे विधिवत् कैम्प में जमा कराई गई है।
12	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्राप्त यह अनुमति 20 वर्ष की होंगी, तथा एम.आर.डी. एक्ट, 1957 के अंतर्गत प्राप्त अवधि एवं पूर्ण स्वीकृत लीज की अवधि बाहर होने के साथ समाप्त होगी।	आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है।
13	संस्थान द्वारा संलग्न पर्यावरणीय सुरक्षात्मक उपायों का कठोरता से पालन किया जावे।	आवेदक संस्थान के अनुसार वायु तथा जल प्रदूषण मानको का खनन क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर मौसमी (Seasonal) अध्ययन किया जाता है तथा प्राप्त आकडों के आधार पर किये गये कार्य की स्थिति की यथार्थ जानकारी लेते हुए परियोजना द्वारा पर्यावरण का ध्यान रखा जा रहा है। जिसका समय–समय पर प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरीक्षण किया जाता है। लीज क्षेत्रों में वृक्षों को हानि नही पहुंचाई जाती है तथा वेस्ट डम्प की स्थिति भारतीय खन ब्यूरो द्वारा (आंशिक बंद घाटी क्षेत्र) के अनुसार है, एवं आवश्यकतानुसार Buttress wall का निर्माण कर वनों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है। चूंकि परियोजना द्वारा स्वंय की उत्खनन लीज क्षेत्र में किये जा रहे कार्य के कारण बाहरी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नही किया जा रहा अतः पर्यावरणीय सुरक्षा का उल्लंघन नही हो रहा है।
14	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत यह अनुमति पयावरणीय संरक्षण अवधि 1986 की स्वीकृति पर आधारित होगी।	आवेदक संस्थान को मान्य है।
15	माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रही याचिका कमांक –202/95 के निर्णय के पास हेतु वृक्षों की कटाई संबंधी प्रावधानों का विशेष ध्यान रखा जाये।	मा. सर्वोच्च न्यायालय में चल रही खचिका क्रं.–202/95 के निर्णय का पालन किया जा रहा है। क्षत्रे में वृक्षों की कटाई प्रस्तावित नही है।

16	उत्खनन क्षेत्र के समतलीकरण हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित राशि रू. 10.000 (रू. दस हजार) प्रति हे. की दर से अग्रिम राशि के रूप में जमा कराई जाने तथा समतलीकरण के समय परिगणित अंतर की राशि प्राप्त किये जाने हेतु वचन पत्र लिया जावे।	आवेदक संस्थान द्वारा निर्देशानुसार अग्रिम राशि एन.एम. डी.सी. निक्षेप क्र. 05 द्वारा समतलीकरण की अग्रिम राशि शर्त क्रं. 11 में उल्लेखित अनुसार जमा की गई है। आवेदक संस्थान द्वारा खनन कार्य की पूर्णता के पश्चात समतलीकरण के समय वन विभाग को आवश्यकता अनुसार परिगणित राशि देने में परियेाजना को आपत्ति नही है – **(आवेदक संस्थान को मान्य है।)**
17	आवेदक संस्थान से लिखित वचन पत्र लिया जाए कि यदि भविष्य में उपरोक्त शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्ते भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, तो वह संस्थान को मान्य होगी।	आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है।
18	भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (वन विभाग) नई दिल्ली द्वारा पत्र क्रमांक एफ.न. 11–51/2015 एफ.सी. 01. 04.2015 को जारी पत्र अनुसार पालन प्रतिवेदन एवं प्रत्याशा मूल्य की राशि (NPV) वसूल कर कैम्पा खाते में जमा करने हेतु निर्देश है।	आवेदक संस्थान महाप्रबंधक एन.एम.डी.सी. बचेली कॉम्प्लेक्स द्वारा निक्षेप क्रमाक 5 रकबा 540.050 हे. क्षेत्र का प्रत्याशा मूल्य की कुल राशि 50,71,06,950/– (शब्दों में :– पच्चास करोड़ इकत्तर लाख छः हजार नौ सौ पच्चास रूपये मात्र) **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सुन्दर नगर ब्रांच, नई दिल्ली सी.जी. कैम्पा खाता क्रमांक 344902010105412 में ई – भुगतान (आर. टी.जी.एस.) आदेश क्रमांक सी.एन. 39382071 (CN) 39382071 दिनांक 08/08/2015 के माध्यम से जमा कर दी गई है।** जमा उपरांत प्राप्त पावती अभिस्वीकृति **(ई– भुगतान विवरण) संलग्नक – 3** के रूप में संलग्न है।
19	प्रस्तावित वन भूमि संरक्षित वन है, आरक्षित वन या राजस्व वन भूमि, क्षेत्र का वर्गीकरण कर, अक्षांश/देशांतर विस्तृत विवरण के साथ प्रस्तुत करें।	बैलाडिला लौह अयस्क खान, बचेली कॉम्प्लेक्स निक्षेप क्रमांक –05 का 540.050 हे. का खनन पट्टा आरक्षित वन में स्थित है। निक्षेप क्रमांक–05 के 540.050 हे. के खनन पट्टे की सीमाओं, सम्बधित वनखण्डों तथा खनन पट्टे के किनारों के अक्षांश/देशान्तर को प्रदर्शित करता हुआ मानचित्र **संलग्नक – 4** के रूप में संलग्न है।
20	पूर्व में किये गये वैकलिपक वृक्षोरोपण की जानकारी चयनित क्षेत्र के विवरण सहित प्रस्तुत करें।	आवेदक संस्थान द्वारा बैलाडिला लौह अयस्क खान, बचेली कॉम्प्लेक्स द्वारा 649.740 हेक्टेयर बिगड़े वन क्षेत्र पर क्षतिपूरक वृक्षोरोपण के लिए मांग पत्र क्र. 368 दिनांक 03.04.1999 के अनुसार रू. 2,14,50,000/– का भुगतान चालान क्र. 1/4 ड्राफ्ट क्र. 887653 दिनांक 06. 05.1999 द्वारा किया जा चुका है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु बैलाडिला निक्षेप क्रमांक 5, निक्षेप क्रमांक 10, निक्षेप क्रमांक 10 फ्लोट ओर, निक्षेप क्रमांक 14 मिन्रलाईज, निक्षेप क्रमांक 14 नान मिन्रार्लजड एवं निक्षेप क्रमांक 11 में प्रत्यावर्तित क्षेत्र के बदले शासन से प्राप्ते निर्देशनुसार जगदलपुर वृत्त के बस्तर/बीजापुर/ सुकमा/ दंतेवाड़ा वनमण्डल तथा कांकेर वृत्त के कांकेर/ पूर्व भानुप्रतापुर/पश्चिम भानुप्रतापुर/ नारायपुर/उत्तर कोण्डागांव एवं दक्षिण कोण्डागांव वनमण्डल के वनक्षेत्रों को चयनित कर संयुक्त योजना तैयार किया गया था उक्त योजना के अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना का निम्नानुसार कार्य किया गया हैं।

		अनु. क्र.	कार्य का विवरण	वृत्त का नाम	क्षेत्रफल (हे.में)
		1	आर.डी.एफ. कार्य (वृक्षारोपण कार्य)	जगदलपुर	9522.000
				कांकेर	0.000
		2	उच्च तकनीकी सिंचित वृक्षारोपण	जगदलपुर	640.000
				कांकेर	345.000
				योगः–	**985.000**
		3	असिंचित वृक्षारोपण	जगदलपुर	2964.000
				कांकेर	487.000
			महायोगः–		**13958.000**
		वनमण्डलवार स्थलवार विवरण रोपित पौधे की संख्या जीवित पौधे का प्रतिशत का पूर्ण प्रतिवेदन **संलग्नक –5** के रूप में संलग्न है।			
21	सेफ्टी जोन क्षेत्र के फेसिंग कार्य का विवरण, फोटोग्राफ्स के साथ प्रस्तुत करें।	आवेदक संस्थान द्वारा सेफ्टी जोन सुरक्षा हेतु फेसिंग कार्य हेतु रू. 94,28,304/– सुरक्षा हेतु रू. 43,20,000/– रिक्लमेशन हेतु रू. 24,02,094/– तथा सेफ्टी जोन क्षेत्र के डेढ़ गुना बिगड़े वनक्षेत्र पर वृक्षारोपण हेतु रू. 2,52,07,947/– का भुगतान चालान क्र. 1/4 दिनांक 06.05.1999 को डाफ्ट क्र. 887653 द्वारा किया गया है। उक्त शर्त पालन के संबंध में वनमण्डल स्तर पर गठित संयुक्त दल द्वारा निरीक्षण किया गया ह निरीक्षण प्रतिवेदन फोटोग्राफ्ट **संलग्नक –6** के रूप में संलग्न है।			

उपरोक्तानुसार संदर्भित पत्र द्वारा अंतिम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ति आवेदनकर्ता द्वारा पूर्ण करा ली गई है।

आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में गणना कर प्रत्याशा मूल्य की राशि रूपये 50,71,06,950/– कैम्पा मद में दिनांक 08.08.2015 को जमा किया जा चुका है।

अतः प्रकरण में दिनांक 31.03.2020 तक समय वृद्धि का आदेश जारी करने का अनुरोध है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध/ व.सं.अ)
(मुदित कुमार सिंह)
अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध/ व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र0/भू–प्रबंध/खनिज/331–163/3015 रायपुर, दिनांक 24/11/2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **वन महानिरीक्षक (एफ.सी),** भारत सरकार – पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, इदिरा पर्यावरण भवन, कक्ष क्रमांक 556, पांचवी मंजिल, अग्नि विंग, जोर बाग रोड, नई दिल्ली – 110003

संलग्नः–कैम्पा पत्रक

2. **मुख्य वन संरक्षक**, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
3. **वन मंडलाधिकारी**, दंतेवाड़ा वन मंडल, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़।
4. **महा प्रबंधक**, मेसर्स एन.एम.डी.सी, बचेली काम्पलेक्स, बैलाडीला, छत्तीसगढ़।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध/ व.सं.अ)
O/C छत्तीसगढ़

35

Annexure_24.4

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, मेड़िकल कॉलेज रोड़, रायपुर

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू.प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2552233 ई – मेलः ccflm_cg@yahoo.com

क्र0/भू–प्रबंध/खनिज/ 331–164/3002 रायपुर, दिनांक 24/11/2015

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर

विषयः– **दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वन मण्डल अंतर्गत बैलाडीला क्रमांक–10 रकबा 309.340 हे. वन भूमि में लौह अयस्क खनिज के लिए खनिजपट्टा की समयावधि का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 31.03.2020 तक विस्तार बाबत्। – पंजीयन क्रमांक 2013/017**

संदर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No.8-39/97-FC दिनांक 29.07.1998

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रं./F.No.11-51/2015- FC दिनांक 01.04.2015 एवं दिनांक 01.05.2015

3. मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ व.त.अ/ 1615 दिनांक 07.09.2015

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के संदर्भित पत्र –2 द्वारा दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वन मंडल लौह अयस्क खनिज के लिए खनिपट्टा की समयावधि वृद्धि बाबत दिशा निर्देश जारी किये है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक एफ 11–51/2015–एफ.सी दिनांक 01.04.2015 द्वारा जारी निर्देशानुसार माईनिंग लीज की वैद्यता तिथि दिनांक 10.09.2015 को समाप्त हो रही है। भारत सरकार द्वारा पूर्व में एम.एम.आर.डी अधिनियम, 1957 के स्थान पर नया संशोधित अध्यादेश 2015 जारी किया है। इसके अनुसार माईनिंग लीज निक्षेप क्रमांक 10 खनन पट्टा रकबा 309.34 हे. की स्वीकृति स्वतः दिनांक 31.03.2020 तक हो गयी है।

तदानुसार संदर्भित पत्र 1 के परिपालन में अंतिम चरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है जो निम्नानुसार हैः–

अनु.	शर्त	पालन प्रतिवेदन
1)	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।	आवेदक संस्थान को मान्य है।
2)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण 268.07 हे0 वनक्षेत्र दुगने अर्थात 537.740 हे0 बिगड़े वनक्षेत्र पर परियोजना व्यय से क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।	बैलाडिला लौह अयस्क खान, बचेली कॉम्प्लेक्स द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण रू.1,07,54,800–00 का भुगतान डिमाण्ड क्रमांक 865364 दिनांक 25.06.1998 के माध्यम से वनमण्डाधिकारी सुकमा के नाम से किया जा चुका है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु बैलाडिला निक्षेप क्रमांक 5, निक्षेप क्रमांक 10, निक्षेप कमांक 10 फ्लोट ओर, निक्षेप क्रमांक 14 मिन्रलाईज्ड, निक्षेप क्रमांक 14 नान मिनर्लाईज्ड जोन एवं निक्षेप क्रमांक 11 में प्रत्यावर्तित क्षेत्र के बदले शासन से प्राप्त निर्देशानुसार जगदलपुर वृत्त के बस्तर/ बीजापुर/ सुकमा/ दंतेवाड़ा वनमण्डल तथा कांकेर वृत्त के कांकेर / पूर्व भानुप्रतापपुर / पश्चिम भानुप्रतापपुर / नारायणपुर/ उत्तर कोण्डागांव एवं दक्षिण कोंण्डागांव वनमण्डल के वनक्षेत्रों को चयनित कर संयुक्त योजना तैयार किया गया था उक्त योजना के अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

		योजना का निम्नानुसार कार्य किया गया है। **अनु. क्र. / कार्य का विवरण / वृत्त का नाम / क्षेत्रफल (हे.में)** 1 / आर.डी.एफ. कार्य (वृक्षारोपण कार्य) / जगदलपुर / 9522.00 कांकेर / 0 2 / उच्च तकनीकी सिंचित वृक्षारोपण / जगदलपुर / 640.00 कांकेर / 345.00 **योग :–** / **985.00** 3 / असिंचित वृक्षारोपण / जगदलपुर / 2964.00 कांकेर / 487.00 **योग :–** / **3451.00** **महायोग** / **13958.00** वन मण्डलवार स्थलवार विवरण रोपित पौधे की संख्या जीवित पौधे का प्रतिशत का पूर्ण प्रतिवेदन **संलग्नक – क** के रूप में संलग्न है।
3)	309.340 हे. वन भूमि के उपयोग पर समय चक्र (Schedule) भारत सरकार द्वारा जारी प्रथम चरण स्वीकृति दिनांक 22/4/98 की शर्त क्रमांक – 1 के अनुसार रहेगा।	309.340 है. वन भूमि के उपयोग का समय चक्र (Schedule) भारत सरकार द्वारा जारी प्रथम चरण स्वीकृति दिनांक 22/4/98 की शर्त क्रमांक – 1 के अनुसार ही है।
4)	309.340 हे0 वनक्षेत्र के दुगने अर्थात 618.680 हे0 बिगड़े वनक्षेत्र पर परियोजना द्वारा दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।	दन्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रूपये 1,23,73,600/– का भुगतान डिमान्ड ड्राफ्ट क्र. 865364 दिनांक 25/06/1998 के माध्यम से वनमंडलाधिकारी, सुकमा के नाम से किया जा चुका है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु बैलाडिला निक्षेप क्रमांक 5, निक्षेप क्रमांक 10, निक्षेप कमांक 10 फ्लोट ओर, निक्षेप क्रमांक 14 मिन्रलाईज, निक्षेप कमांक 14 नान मिन्रार्लजड एवं निक्षेप कमांक 11 में प्रत्यावर्तित क्षेत्र के बदले शासन से प्राप्त निर्देशानुसार जगदलपुर वृत्त के बस्तर/ बीजापुर/ सुकमा/ दंतेवाड़ा वनमण्डल तथा कांकेर वृद्ध के कांकेर / पूर्व भानुप्रतापपुर / पश्चिम भानुप्रतापपुर / नारायणपुर/ उत्तर कोण्डागांव एवं दक्षिण कोंण्डागांव वनमण्डल के वनक्षेत्रों को चयनित कर संयुक्त योजना तैयार किया गया था उक्त योजना के अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना का निम्नानुसार कार्य किया गया है। **अनु. क्र. / कार्य का विवरण / वृत्त का नाम / क्षेत्रफल (हे.में)** 1 / आर.डी.एफ. कार्य (वृक्षारोपण कार्य) / जगदलपुर / 9522.00 कांकेर / 0 2 / उच्च तकनीकी सिंचित वृक्षारोपण / जगदलपुर / 640.00 कांकेर / 345.00 **योग :–** / **985.00** 3 / असिंचित वृक्षारोपण / जगदलपुर / 2964.00 कांकेर / 487.00 **योग :–** / **3451.00** **महायोग** / **13958.00** वनमण्डलवार स्थलवार विवरण रोपित पौधे की संख्या जीवित

		पौधे का प्रतिशत का पूर्ण प्रतिवेदन **संलग्नक – क** के रूप में संलग्न है।
5)	उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त माइनिंग लीज के अन्दर 91.810 हे0 रिक्त क्षेत्र पर परियोजना व्यय से वृक्षारोपण किया जावेगा। एवं स्थानीय किस्म के वृक्षों की वृक्षारोपण योजना राज्य वन विभाग के परामर्श से तैयार कर मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) कार्यालय भोपाल को मानिटरींग हेतु प्रस्तुत की जावेगी।	अधिरोपित शर्त के पालन में निदृश्ट क्षेत्र में छत्तीसगढ राज्य वन विकास निगम तथा सामाजिक वानिकी वनमण्डल के माध्यम से वृक्षारोपण का कार्य कराया गया है। स्थानीय किस्म के वृक्षों की वृक्षारोपण योजना राज्य वन विभाग के परामर्श से तैयार कर मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) कार्यालय भोपाल को मानिटरींग हेतु हमारे पत्र क्रमांक डी.–5/एम. एल/एफ.सी./98–99 दिनांक 24.07.1999 के माध्यम से प्रस्तुत की गयी। वृक्षारोपण का रखरखाव परियोजना द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। विगत वर्षों के दौरान किये गये प्रजातिवार वृक्षारोपण की जानकारी **संलग्नक – ख** के रूप में संलग्न है। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम तथा सामाजिक वानिकी वनमण्डल के माध्यम से विगत वर्षो में अबतक 12 लाख 16 हजार 687 वृक्षों का रोपण 565.11 हे. वनक्षेत्र में रू. 497.84 लाख के व्यय से किया गया है। इसके अतिरिक्त बैलाडिला लौह अयस्क खान, बचेली कॉम्प्लेक्स ने पूर्ण 91.810 हे0 क्षेत्र के 7.3 गुने से अधिक 668.52 हे. बिगड़े वन क्षेत्र पर अन्यत्र कही और वृक्षारोपण किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि का भुगतान किया हैं (वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बस्तर (सां) वनमण्डल दंन्तेवाड़ा के मांग पत्र कमांक मा.चि./368/ दिनांक 03.04.1999 के निर्देशानुसार)
6)	सेफ्टी जोन क्षेत्र में फैंसिंग सुरक्षा एवं रीजनरेशन का कार्य परियोजना व्यय पर किया जावेगा। सेफ्टी जोन क्षेत्र के डेढ़ गुणा अन्य बिगड़े वनक्षेत्र पर कही भी वृक्षारोपण का कार्य परियोजना व्यय पर किया जाएगा।	वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बस्तर (सा.) वनमण्डल, सुकमा के मांग पत्र कमांक मा.चि./942/दिनांक 12.06.1998 के माध्यम से निक्षेप क्रमांक –10 तथा निक्षेप क्रमांक – 10 (फ्लोट ओर) के सामूहिक सेफ्टी जोंन क्षेत्र में फेसिंग, सुरक्षा एवं रीजनरेशेन का कार्य तथा सेफ्टी जोन क्षेत्र के डेढ गुना बिगडे वन क्षेत्र पर अन्यत्र कही भी वृक्षारोपण का कार्य परियोजना व्यय पर किये जाने हेतु धनराशि की मांग एन. एम.डी.सी. लिमिटेड, बैलाडिला लौह अयस्क खान, बचेली कॉम्प्लेक्स से की गयी। जिसके पालनार्थ बैलाडिला लौह अयस्क खान, बचेली काम्प्लेक्स के द्वारा निक्षेप क्र.– 10 तथा निक्षेप क्रमांक 10 (फ्लोट ओर) के सामूहिक सेफ्टी जोन कार्य हेतु रू. 2,57,32,610/– की धनराशि डिमांड ड्राफ्ट न. 865364 दिनांक 25.06.1998 के माध्यम से वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बस्तर (सां) वनमण्डल, सुकमा को जमा की गयी। उपरोक्त धनराशि निम्नलिखित कार्य किये जाने के लिए दक्षिण बस्तर (सां) वनमण्डल, सुकमा को प्रदान की गयी। • निक्षेप क्र.– 10 तथा निक्षेप क्रमांक 10 (फ्लोट ओर) के सामूहिक सेफ्टी जोन की फेंसिंग कार्य हेतु • निक्षेप क्र.– 10 तथा निक्षेप क्रमांक 10 (फ्लोट ओर) के सामूहिक सेफ्टी जोन के सुरक्षा कार्य हेतु • निक्षेप क्र.– 10 तथा निक्षेप क्रमांक 10 (फ्लोट ओर) के सामूहिक सेफ्टी जोन में रीजनरेशन कार्य हेतु • निक्षेप क्र.– 10 तथा निक्षेप क्रमांक 10 (फ्लोट ओर) के सामूहिक सेफ्टी जोन के कुल क्षेत्रफल 9.48 हे. के डेढ़ गुना अर्थात 14.22 हे. बिगड़े वनक्षेत्र में अन्यत्र कही वृक्षारोपण तथा

<table>
<tr><td></td><td></td><td>• 668.52 हे. बिगड़े वन क्षेत्र पर अन्यत्र कही और वृक्षारोपण किये जाने हेतु

उक्त शर्त पालन के संबध में वनमण्डल स्तर पर गठित संयुक्त दल द्वारा निरीक्षण किया गया है निरीक्षण प्रतिवेदन, फोटोग्राफ्स संलग्नक –4 के रूप में संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>7)</td><td>पूरे लीज क्षेत्र को अतिक्रमण रहित रखा जावेगा, तथा यदि वर्तमान में कोई अतिक्रमण हो तो उसे तत्काल हटाया जायेगा।</td><td>लीज क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नही है।</td></tr>
<tr><td>8)</td><td>नई वनभूमि का उपयोग इन्फास्ट्रक्चर की सुविधा, आफिशियल बिल्डिंग /स्ट्रक्चर आदि के लिए किया जायेगा। आवासीय कालोनी निर्मित नहीं की जायेगी। इस प्रयोजन हेतु वनभूमि पर अस्थायी रूप से ऐसे भवन बनाए जाए जो कि परियोजना की अवधि समाप्ति पर तोड़ कर क्षेत्र को पूर्व स्थिति में लाया जा सके।</td><td>आवासीय कॉलोनी निर्मित नहीं की गयी है। केवल खनन कार्य से संम्वंधित इन्फास्ट्रक्चर सुविधा का निर्माण कार्य किया गया हैं, जिन्हे कार्य समाप्ति के पश्चात् तोड़कर वन भूमि को पूर्वावस्था में लाया जा सकता है।</td></tr>
<tr><td>9)</td><td>उत्खनित क्षेत्र का समतलीकरण समवर्ती रूप से वन विभाग के परामर्श से परियोजना व्यय से दिया जाय तथा निर्धारित नीति के अनुसार समतलीकरण की राशि आवेदक संस्थान से अग्रिम रूप से जमा कराई जाये।</td><td>परियोजना द्वारा निक्षेप क्र. 10 के लिये समतलीकरण की राशि वनमंडलाधिकारी, दंतेवाडा को निम्नानुसार दी गयी है ।

<table>
<tr><th>क्षेत्र (हे. में)</th><th>राशि रू.</th><th>ड्राफ्ट सं</th><th>दिनांक</th></tr>
<tr><td>125.52 (उत्खनन)</td><td>12,55,200</td><td>197290</td><td>19.07.07</td></tr>
<tr><td>92.01 (वेस्ट डम्प तथा इन्फास्ट्रक्चर)</td><td>9,20,100</td><td>197355</td><td>15.09.07</td></tr>
</table>

उत्खनित क्षेत्र का समतलीकरण परियोजना के खनन लीज क्षेत्र में खनन समाप्ति के पश्चात् ही सम्भव है तथा उक्त कार्य वन विभाग के परामर्श से ही सम्पादित किया जायेगा।</td></tr>
<tr><td>10)</td><td>समीपवर्ती वनों पर दबाव न आए इस हेतु परियोजना में कार्यरत स्टाफ/ श्रमिकों को निशुल्क जलाऊ लकड़ी आवेदक संस्थान द्वारा परियोजना स्थल पर ही डिपो खोलकर उपलब्ध कराई जाएगी।</td><td>परियोजना परिसर में मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की गैस एजेंसी संचालित है। उपरोक्त एंजेसी से वितरीत किये जाने वाले गैस सिलेण्डरों इत्यादि के आकडें निम्न है।

<table>
<tr><th>विवरण</th><th>संख्या</th></tr>
<tr><td>बैलाडीला लौह अयस्क खान, बचेली परिसर मे कार्यरत कर्मचारियो की कुल संख्या</td><td>1488</td></tr>
<tr><td>गैस एजेन्सी से वितरीत किये गये घरेलू गैस कनेक्शनों की संख्या</td><td>2094</td></tr>
<tr><td>गैस एजेन्सी से वितरीत किये गये व्यावसायिक गैस कनेक्शनों की संख्या</td><td>21</td></tr>
<tr><td>गैस एजेन्सी से प्रतिमाह उपभोक्ताओं वितरीत किये जाने वाले गैस सिलण्डरों की औसत संख्या</td><td>1500</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

परियोजना में प्रमुख कार्य स्थलो पर कैन्टीन सुविधां उपलब्ध है। कैन्टीनों में भोजन पकाने के लिए ईंधन के रूप में गैस या बिजली का उपयोग ही सुनिश्चित किया गया है। प्रत्येक कर्मचारी को न्यूनतम 20 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से कैन्टीन भत्ता तथा रात्रिकालीन सेवा में भोजन हेतु रूपये 150 प्रतिदिन की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ठेका श्रमिक को 80 रूपये का भोजन कूपन प्रति कार्य दिवस की दर से पौश्टिक आहार हेतु पारिश्रमिक के अतिरिक्त प्रदान किया जाता है।

आगे एन.एम.डी.सी. अपने सामाजिक नैगम दायित्व कार्यक्रम के अन्तर्गत परिक्षेत्रीय विकास के कार्य जिला प्रशासन के माध्यम से प्रति वर्ष प्रमुखता से करती है। उपरोक्त सामाजिक नैगम दायित्व कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राकृतिक संसाधनो तथा अन्य ऊर्जा श्रोतों (गैर परम्परागत) के विकास की योजनाओं को जिला प्रशासन द्वारा प्रमुखता से सम्मिलित किया जाता है। विगत वर्शो में उपरोक्त प्रकार की कुछ योजनाओं तथा उनमें बैलाडीला लौह अयस्क खान, बचेली परिसर द्वारा किये गये व्यय का विवरण निम्न है :–

क्रं.	योजना	व्यय (लाख रू.)
	वर्ष 2010–2011	
1	सौर पथ प्रकाश व्यवस्था	50.00
2	सौर विद्युतीयकरण	505.29
3	भोजन कूपन	31.53
4	पांच गांवों का समेकित विकास	43.48
	वर्ष 2011–2012	
5	सौर पथ प्रकाश व्यवस्था	50.00
6	ठेका श्रमिको को भोजन कूपन तथा स्वास्थ्य सुधार	91.87
7	ठेका श्रमिको हेतु विशेष राहत	132.08
8	गांवों का समेकित विकास	11.30
	वर्ष 2014–2015	
9	10 आश्रमों/छात्रावासो में स्टीम कुकर की स्थापना	325.00
10	भान्सी रेलवे प्लेटफार्म पर सौरपथ प्रकाश व्यवस्था	20.00
11	भान्सी पुलिस थाना से पोरो कमेली गांव तक (3.0 कि.मी.) सौरपथ प्रकाश व्यवस्था	40.00
12	भान्सी में 6 सौरपम्पो की स्थापना	18.00
13	गजेनार, कुन्जाम पारा, पकुलपारा तथा पटेलपारा में 4 सौरऊर्जा आधारित हैण्डपम्प की स्थापना	19.40
14	मोलेशनार तथा पटेलपारा में सौरऊर्जा आधारित मोटराइज्ड हैण्डपम्प की स्थापना	4.85
15	पाढापुर, नयनपारा तथा पटेलपारा में सौरऊर्जा आधारित मोटराइज्ड हैण्डपम्प की स्थापना	9.70
16	सातधार से धुरली गांव तक (5.0 कि.मी.) सौरपथ प्रकाश व्यवस्था	39.10

		17	भान्सी मुख्य संडक से बडेकमेली गांव तक (3.0 कि.मी.) सौरपथ प्रकाश व्यवस्था	23.85
		18	भोपालपट्टनम के अस्पताल में सौरऊर्जा बिजली धर की स्थापना	25.00
		19	बीजापुर नयी पुलिस लाईन में सौर ऊर्जा बिजली धर की स्थापना	48.70
		चूँकि पर्याप्त ऊर्जा स्त्रोत आधारभूत आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को यथा स्थान पर संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे हैं, अतः वनों पर जलाऊ लकड़ी का दबाव नहीं है।		
11)	माइनिंग लीज क्षेत्र का सीमांकन 4 फीट की ऊंचाई वाले सीमेंट के खंभें लगाकर किया जायेगा। खंभो पर क्रमांक एवं बियरिंग अंकित किया जाएगा।	सम्पूर्ण माइनिंग लीज क्षेत्र को 4 फीट ऊँचे पिरामिड आकार के सीमेंट के खंभें लगाकर किया गया है। खंभो पर क्रमांक व बियरिंग अंकित हैं।		
12)	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्राप्त यह अनुमति 20 वर्ष की होंगी, तथा एम.एम.आर.डी.एक्ट, 1957 के अंतर्गत प्राप्त अवधि एवं पूर्ण स्वीकृत लीज की अवधि समाप्त होने के साथ ही समाप्त होगी।	वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल दन्तेवाड़ा के पत्र क्रमांक /क.त.अ./5818 दिनांक 04.08.2015 के अनुसार नये संशोधन अध्यादेश एम.एम. डी. आर. संशोधन अधिनियम, 2015 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश क्रमांक एफ. एन. 11–51/2015 एफ.सी. दिनांक 01.05. 2015 के अनुसार माईनिंग लीज निक्षेप क्रमांक 10 रकबा 309.340 हे. की स्वीकृति वृद्वि दिनांक 31.03.2020 तक हो गई है।		
13)	पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों का कठोरता से पालन किया किया जाएगा।	पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों का कठोरता से पालन सुनिश्चित किया गया है। 1. वायु तथा जल प्रदूषण के पर्यावरण मानको का खनन क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर मौसमी (Seasonal) अध्ययन किया जाता है तथा प्राप्त आँकडों के आधार पर किये गये कार्य की स्थिति की यथार्थ जानकारी लेते हुए परियोजना द्वारा पर्यावरण का ध्यान रखा जा रहा है। 2. अपरिशिष्ट भण्डार (Waste Dump) की स्थिति भारतीय खान ब्यूरो द्वारा के अनुमोदन के अनुसार है। अपरिशिष्ट भण्डारों में अपरिशिष्टों का संग्रहण पूर्ण वैज्ञानिक विधि से किया जा रहा है। अपरिशिष्ट को भू–क्षरण से रोकने के लिए अपरिशिंष्ट भण्डार के चारों ओर पत्थरों (loose boulders) को लोहे की जाली (chain link) में लपेट कर पुख्ता दीवार (buttress wall) बनायी गयी है। 4. अपरिशिष्ट भण्डारों के चारों तरफ माला नाली (garland drain) का निमार्ण बहते हुये पानी से अपरिशिष्ट को मिलने से बचाने के लिए किया गया है। उपरोक्त सुरक्षात्मक उपयोग के सुदृढ़करण का कार्य नियमित रूप से किया जाता है। 5. अपरिशिष्ट भण्डार के स्थिरीकरण तथा भूमि सुधार का कार्य भू–वस्त्र (Geo-textile) का प्रयोग करते हुये शीघ्र उगने वाली प्रजातियाँ जैसे घास, बांस इत्यादि के रोपण द्वारा किया जा रहा है।		

6. प्राकृतिक जल स्त्रोंतो को क्षरित पदार्थ से मिलने से बचाने के लिये चेक डैमो (Check Dams) तथा चेक बंडों (Check Bunds) की एक श्रृंखला स्थापित है। अब तक बैलाडीला लौह अयस्क खान, बचेली परिसर द्वारा परिसर में इस तरह के लगभग 8 कंक्रीट चेक डेम तथा 15 चेक बंड निर्मित है। निर्मित चेक डेमों तथा चेक बन्डो की नियमित सफाई (De-silting) की जाती है।

7. इसके अतिरिक्त परियोजना जल और मृदा संरक्षण कार्य हेतु छत्तीसगढ़ वन विभाग, दन्तेवाड़ा वन मंडल से विगत वर्षों से अनुबंध करती आ रही है। उपरोक्त अनुबंध के अन्तर्गत जल और मृदा संरक्षण कार्य (चेक डैम, चेक बंड, समोच्च खंती, ब्रशवुड चेक डेम तथा लूज बोल्डर चेक डेम निर्माण) किये जाने हेतु परियोजना ने क्रमशः 178.63 लाख (वर्ष 2011–12) तथा 184.04 लाख रूपये (वर्ष 2012–13) छत्तीसगढ़ वन विभाग, दन्तेवाड़ा वन मंडल को प्रदान किया है। इसी तरह वर्ष 2014–15 में 5 वनखंडो के 1326.485 हेक्टेयर क्षेत्र तथा बैलाडिला लौह अयस्क खान, बचेली कॉम्प्लेक्स के आसपास के नालो में कुल 166 चेक बण्डो के निर्माण हेतु रू. 212.84 लाख रूपये का अनुबध किया गया है। उपरोक्त अनुबंध के अनुसार रूपये 106.42 लाख का भुगतान वनविभाग को दिनांक 24.11.2014 को किया जा चुका है।

8. परियोजना नें भू–क्षरण के द्वारा निकटवर्ती नालो में प्रवाहित जल को प्रदुषण एवं लाल रंग के होने से बचाने के लिए परियोजना ने 5 अतिरिक्त नये चेक बंडों के निर्माण हेतु रूपये 23.60 लाख का अनुबंध छत्तीसगढ़ वन विभाग, दन्तेवाड़ा वन मंडल से किया है। जिसके अन्तर्गत उपरोक्त कार्य हेतु 11.80 लाख रूपये का अग्रिम भुगतान 04.05.2012 तथा 1,09,286/ का अग्रिम भुगतान दंतेवाडा वन मण्डल को दिनांक– 30/12/2012 दिनांक को ही किया जा चुका है। उपरोक्त नये चेक बंडों का निर्माण पूरा हो चुका है।

9. बैलाडीला लौह अयस्यक खान, बचेली परिसर ने वन खण्ड क्रंमाक 1831 व 1832 में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य किये जाने हेतु दंतेवाडा वन मण्डल के साथ रूपये 29,52,000/ का अनुबंध दिनांक–24/05/2013 को किया है। उपरोक्त अनुबंध के अंतर्गत कार्य प्रारंभ करने के लिये रूपये 14,76,000/ का अग्रिम भुगतान दंतेवाडा वन मण्डल को दिनांक– 31/05/2013 तथा रूपये 7,38,000/ का अग्रिम भुगतान दंतेवाडा वन मण्डल को दिनांक– 13/05/2014 व रूपये 7,38,000/ का अग्रिम भुगतान दंतेवाडा वन मण्डल को दिनांक– 30/05/2015 को ही किया जा चुका है।

10. इसके अतिरिक्त परियोजना ने भू–क्षरण के द्वारा निकटवर्ती नालो में प्रवाहित जल को प्रदूषण एवं लाल रंग के होने से बचाने के लिए 8 नये अतिरिक्त चेक बंडों के निर्माण हेतु रूपये 40.00 लाख का अनुबंध

		छत्तीसगढ़ वन विभाग, दन्तेवाडा वन मंडल से किया है। जिसके अन्तर्गत उपरोक्त कार्य हेतु 20.00 लाख रूपये का अग्रिम भुगतान 21.12.2013 को एवं 10.00 लाख रूपये का अग्रिम भुगतान 21.06.2014 को ही किया जा चुका है। अब तक 6 चेक बंडों का निर्माण पूरा हो चुका है। उपरोक्त विवरणानुसार उठाये गये पर्यावरणीय सुरक्षात्मक कदमों के द्वारा पर्यावरणीय सुरक्षात्मक उपायों का कठोरता से पालन सुनिश्चित किया गया हैं।
14)	राज्य सरकार द्वारा भविष्य में अन्य कोई शर्त समय–समय पर वनीकरण या वनों की सुरक्षा हेतु अधिरोपित की जा सकती है।	भविष्य में यदि अन्य शर्त राज्य शासन द्वारा निर्धारित की जाती है तो नियमानुसार आवेदक संस्थान को मान्य होंगी।
15)	भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (वन विभाग) नई दिल्ली द्वारा पत्र क्रमांक एफ.न. 11–51/2015 एफ.सी. 01.04.2015 को जारी पत्र अनुसार पालन प्रतिवेदन एवं प्रत्याशा मूल्य की राशि (एन.पी.व्ही) वसूल कर कैम्पा खाते में जमा करने हेतु निर्देश है।	आवेदक संस्थान महाप्रबंधक एन.एम.डी.सी. बचेली कॉम्प्लेक्स द्वारा निक्षेप क्रमाक 10 रकबा 309.340 हे. क्षेत्र का प्रत्याशा मूल्य की कुल राशि 29,04,70,260/– (शब्दों में :– उन्तीस करोड़ चार लाख सत्तर हजार दो सौ साठ रूपये मात्र) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सुन्दर नगर ब्रांच, नई दिल्ली सी. जी. कैम्पा खाता क्रमांक 344902010105412 में ई – भुगतान (आर.टी.जी.एस.) आदेश क्रमांक (CN) 39382072 दिनांक 08/08/2015 के माध्यम से जमा कर दी गई है। जमा उपरांत प्राप्त पावती अभिस्वीकृति (ई– भुगतान विवरण) **संलग्नक – 1** के रूप में संलग्न है।
16)	प्रस्तावित वन भूमि संरक्षित वन है, आरक्षित वन या राजस्व वन भूमि, क्षेत्र का वर्गीकरण कर, अक्षांश/देशांतर विस्तृत विवरण के साथ प्रस्तुत करें।	बैलाडिला लौह अयस्क खान, बचेली कॉम्प्लेक्स निक्षेप क्रमांक –10 का 309.340 हे. का खनन पट्टा आरक्षित वन में स्थित है। निक्षेप क्रमांक– 10 के 309.340 हे. के खनन पट्टे की सीमाओं, सम्बधित वनखण्डों तथा खनन पट्टे के किनारों के अक्षांश/देशान्तर को प्रदर्शित करता हुआ मानचित्र **संलग्नक – 2** के रूप में संलग्न है।
17)	पूर्व में किये गये वैकल्पिक वृक्षारोपण की जानकारी चयनित क्षेत्र के विवरण सहित प्रस्तुत करें।	बैलाडिला लौह अयस्क खान, बचेली कॉम्प्लेक्स द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण रू.1,07,54,800–00 का भुगतान डिमाण्ड कमांक 865364 दिनांक 25.06.1998 के माध्यम से वनमण्डलाधिकारी सुकमा के नाम से किया जा चुका है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु बैलाडिला निक्षेप कमांक 5, निक्षेप क्रमांक 10, निक्षेप क्रमांक 10 फ्लोट ओर, निक्षेप क्रमाांक 14 मिन्रलाईज्ड, निक्षेप क्रमांक 14 नान मिनर्लाईज्ड जोन एवं निक्षेप क्रमांक 11 में प्रत्यावर्तित क्षेत्र के बदले शासन से प्राप्त निर्देशानुसार जगदलपुर वृत्त के बस्तर/ बीजापुर/ सुकमा/ दंतेवाड़ा वनमण्डल तथा कांकेर वृत्त के कांकेर / पूर्व भानुप्रतापपुर / पश्चिम भानुप्रतापपुर / नारायणपुर/ उत्तर कोण्डागांव एवं दक्षिण कोंण्डागांव वनमण्डल के वनक्षेत्रों को चयनित कर संयुक्त योजना तैयार किया गया था उक्त योजना के अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना का निम्नानुसार कार्य किया गया है।

अनु. क.	कार्य का विवरण	वृत्त का नाम	क्षेत्रफल (हे.में)
1	आर.डी.एफ. कार्य (वृक्षारोपण कार्य)	जगदलपुर	9522.00
		कांकेर	0
2	उच्च तकनीकी सिंचित वृक्षारोपण	जगदलपुर	640.00
		कांकेर	345.00
		योग :–	**985.00**
3	असिंचित वृक्षारोपण	जगदलपुर	2964.00
		कांकेर	487.00
		योग :–	**3451.00**
	महायोग		**13958.00**

वनमण्डलवार स्थलवार विवरण रोपित पौधे की संख्या जीवित पौधे का प्रतिशत का पूर्ण प्रतिवेदन **संलग्नक – 3** के रूप में संलग्न है।

18)	सेफ्टी जोन क्षेत्र के फेसिंग कार्य का विवरण, फोटोग्राफ्स के साथ प्रस्तुत करें।	परियोजना द्वारा सेफ्टी जोन फैसिंग रिजनरेशन कार्य एवं सेफ्टी जोन क्षेत्र से डेढ़ गुणा अन्य बिगड़े वन क्षेत्र पर वृक्षारोपण कार्य हेतु रूपये 2,57,32,610/– जमा किया जा चुके है। उक्त शर्त पालन के संबंध में वनमण्डल स्तर पर गठित संयुक्त दल द्वारा निरीक्षण किया गया है निरीक्षण प्रतिवेदन, फोटोग्राफ्स **संलग्नक –4** के रूप में है।

उपरोक्तानुसार संदर्भित पत्र द्वारा अंतिम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ति आवेदनकर्ता द्वारा पूर्ण करा ली गई है।

आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में गणना कर प्रत्याशा मूल्य की राशि रूपये 29,04,70,260/– कैम्पा मद में दिनांक 08.08.2015 को जमा किया जा चुका है।

अतः प्रकरण में दिनांक 31.03.2020 तक समय वृद्धि का आदेश जारी करने का अनुरोध है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(मुदित कुमार सिंह)
अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध/ व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र0/भू–प्रबंध/खनिज/331–163/3063 रायपुर, दिनांक 24/11/2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. **वन महानिरीक्षक (एफ.सी),** भारत सरकार – पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, इदिरा पर्यावरण भवन, कक्ष क्रमांक 556, पांचवी मंजिल, अग्नि विंग, जोर बाग रोड, नई दिल्ली – 110003

संलग्नः–कैम्पा पत्रक

2. **मुख्य वन संरक्षक**, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
3. **वन मंडलाधिकारी**, दंतेवाड़ा वन मंडल, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़।
4. **महा प्रबंधक**, मेसर्स एन.एम.डी.सी, बचेली काम्पलेक्स, बैलाडीला, छत्तीसगढ़।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध/ व.सं.अ)
छत्तीसगढ़